UPSI010001782026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01, सीतापुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–13/2026

CIS N0.75/ 2026

श्रीमती वलीमा उर्फ वलीना बनाम् राज्य उत्तर प्रदेश

मु0अ0सं0–110/2003
धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0
व 3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना–तम्बौर,जिला–सीतापुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 (पूर्व धारा–438 दं0प्र0सं0)बी0एन0एस0एस0 आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती वलीमा उर्फ वलीना द्वारा मुकदमा अ0सं0–110/2003 धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना–तम्बौर,जिला सीतापुर के मामले में अग्रिम जमानत पर छोडे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से सर्वप्रथम यह कथन किया गया है कि यह उसका **प्रथम** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया है और न ही खारिज हुआ है और न हीं विचाराधीन है। तत्सम्बन्ध में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इसका खण्डन विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा भी नहीं किया गया है।

3 मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अब्दुल हमीद द्वारा थाना तम्बौर,जिला सीतापुर में इस आशय का तहरीरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी लडकी आशिफा खातून उम्र 25 वर्ष की शादी करीब दो साल पहले गोधिया निवासी साकिर अली पुत्र एकबाल के घर हुई थी। वह गरीबी के कारण दहेज कम दे सका। जिसकी वजह से यह लोग उसकी पुत्री आशिफा खातून को मारते–पीटते थे और कहते थे कि अपने बाप से टीवी, फ्रिज व दो बिस्वां जमीन दिलवा दो, हम तम्बौर में दुकान करेगें। आशिफा खातून ने जब उपरोक्त बात उसे बतायी तो उसने आशिफा खातून को अपने घर रोक लिया। फिर 6 महीना तक वह उसके घर पर रही। फिर मुरसुद्दीन पुत्र गुलाम हुसेन, चन्दीदुवाई को लेकर यह लोग उसके घर आये और कहने लगे कि मुरसुद्दीन की जिम्मेदारी पर लड़की को भेज दो। अब हमलोग कोई परेशानी नहीं देगें। उसने बातों में आकर लड़की को भेज दिया। आज लड़की को भेजे सिर्फ 4 दिन हुए थे। वह अपने मकान रेउसा मोड़ पर गया था। वह चौराहे पर खड़ा था। इतने में देखा की उसकी लड़की को 3 लोग ठेलिया पर लादे लिए जा रहे थे। मो0 उमर पुत्र एकबाल, साकिर अली पुत्र एकबाल, एकबाल जो साकिर अली के बल्द हैं। तीनों लोग उसे देखकर भाग गये। वह ठेलिया से अपनी लड़की को लेकर तम्बौर अस्पताल पहुंचा।डाक्टर साहब ने सीतापुर ले जाने के लिए कहा। वह व उसके घरवाले लड़की को लेकर सीतापुर जा रहे थे। उसकी लड़की ने रास्ते में ग्राम लालपुर के पास दम तोड़ दिया। वह अपनी लड़की को लेकर अपने घर तम्बौर आया। उसकी लड़की की लाश उसके घर पर है। उसकी लड़की को

उपरोक्त तीनों लोग व मो0 उमर की पत्नी ने जला कर मार डाला है। उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे तंग व परेशान करने के लिए झूठा फसाया गया है। वह अपने पति मो0 उमर के साथ उपरोक्त वाद की मृतका व उसके पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कथित घटना के पूर्व से अलग रहती थी। वह गर्भवती होने के कारण अपने मायके ग्राम चंदी भानपुर,जिला सीतापुर में रह रही थी। मृतका के पति साकिर अली, ससुर इकबाल व जेठ मो0 उमर के विरूद्ध चले मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण सन् 2003–2004 दोषमुक्त कर दिया गया था। मफरूरी में उसके विरूद्ध आरोप पत्र भेजा गया है। उसके विरूद्ध अजमानतीय वारंट जारी है, जबकि मूल पत्रावली संलग्न नहीं है और न ही उसके विरूद्ध कोई संकलित साक्ष्य आरोप पत्र के साथ भेजा है। वह एक वृद्ध व गम्भीर बीमारियों से ग्रसित महिला है एवं अब भी उसका इलाज चल रहा है। यदि उसे जेल भेज दिया गया तो उसका इलाज सम्भव नहीं है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। आवेदिका/अभियुक्ता अग्रिम जमानत देने के लिए तैयार है। अत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

5. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की जा रही है कि वह कथित घटना के पूर्व से मृतका से अलग स्वंय के गर्भवती होने के कारण अपने मायके में निवास कर रही थी। वह एक वृद्ध व गम्भीर बीमारियों से ग्रसित महिला है। यदि उसे जेल भेज दिया गया तो उसका इलाज सम्भव नहीं है और उसकी जान को खतरा हो सकता है।अतः आवेदिका/अभियुक्ता की अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया जा रहा है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए जला कर मार डालने का गम्भीर अपराध कारित किया है।अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. मैने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 तथा आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा तलबशुदा मूल पत्रावली का परिशीलन किया।

8. अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि "जब किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाये, तो वह धारा–438 भा0दं0सं0 के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए" अर्थातः–

1– अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता।

2– आवेदक का पूर्ववत् जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले से ही कारावास भुगत चुका है।

3– न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यताः और

4– जहॉ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

9. हस्तगत मामले में वर्न इंजरी से चोटें आने के कारण मृतका की मृत्यु

असामान्य परिस्थितियों में शादी के सात वर्ष के भीतर होना कहा जा रहा है। मामला गम्भीर प्रकृति दहेज हत्या का है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई संतोषजनक आधार नहीं पाया जाता है।अतः आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती वलीमा उर्फ वलीना की ओर से मुकदमा अपराध सं0–110/2003 धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना–तम्बौर, जिला सीतापुर में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः17–03–2026

(मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01,सीतापुर।
J.O Code-UP6141

Digitally signed by MOHD SAPHEEK
Date: 2026.03.17 17:45:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur